"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2006—माघ 14, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 5-11/2004/1-8.—श्री पी. एस. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विरुद्ध थाना कोतवाली शिवपुरी (म. प्र.) में दर्ज अपराध क्रमांक 644/96 में मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति जारी करने तथा माननीय सी. जे. एम. न्यायालय, शिवपुरी में चालान प्रस्तुत होने के फलस्वरूप श्री तिवारी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5-2-2005 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) के परन्तुक के अंतर्गत निलम्बित किया गया.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

2. और यत: श्री पी. एस. तिवारी, अवर सचिव का निलम्बन बहाल किये जाने संबंधी प्रकरण का गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया गया. प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि इनका निलम्बन बहाल किये जाने के निम्न आधार हैं :—

(1) प्रकरण छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं होकर अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित है. प्रश्नाधीन गलत पत्र/फर्जी पत्र जारी करने के संबंध में मुख्य आरोपी श्री बी. डी. सहाय सेवानिवृत्त हो गये हैं. मध्यप्रदेश शासन ने शेष दो अभियुक्त श्री आर. एस. जाटव एवं श्री राम कटारिया को निलंबन से बहाल कर दिया है.

(2) छत्तीसगढ़ मंत्रालय में मंत्रालयीन सेवा के अवर सचिव स्तर के अधिकारियों की कमी है, साथ ही अवर सचिव के पद भी रिक्त हैं. पद रिक्त होने के कारण शासकीय कार्य सम्पादन में कठिनाई हो रही है.

(3) इन्हें मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत वर्तमान में इनके वेतन का 75 प्रतिशत निर्वाह भत्ते के रूप में राशि दी जा रही है जिसके बदले में इनसे कोई कार्य नहीं लिया जा रहा है.

3. और यत: उपर्युक्त आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (5) (ग) के अधीन राज्य शासन द्वारा श्री पी. एस. तिवारी का निलम्बन बहाल करने का निर्णय लिया गया है.

4. अतएव राज्य शासन, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (5) (घ) के परन्तुक में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री पी. एस. तिवारी, अवर सचिव का निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उन्हें बहाल करता है.

5. इनकी निलम्बन अवधि का निराकरण अभियोजन प्रकरण के अंतिम रूप से निराकृत होने के बाद नियमानुसार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 6-2/2006/1/एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-1/2001/1/एक, दिनांक 21 अक्टूबर, 2004 से माननीय चन्द्रशेखर साहू को राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था, श्री चन्द्रशेखर साहू ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 (2) के परन्तुक के भाग (क) के प्रावधान अनुसार अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दिनांक 10 जनवरी, 2006 को प्रस्तुत किया जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है.

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 2-3/2006/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय में कार्यरत निम्नलिखित सहायक ग्रेड-1 को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10500 में पदोन्नत करते हुए उनके सम्मुख दर्शाये गये अनुभाग में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/विभाग (2)	नवीन पदस्थापना (3)	टीप (4)
1.	श्री लोंजीनुस तिर्की, ऊर्जा विभाग.	जनसंपर्क विभाग	

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री सैयद कौशर अलि, सामान्य प्रशासन विभाग.	सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-5	इनके कनिष्ठ श्री एस. सी. श्रीमाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नति.
3.	श्री अब्बास खान, सामान्य प्रशासन विभाग.	कृषि विभाग	श्री खान की वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जायगी.

2. श्री सैयद कौसर अलि को उनके कनिष्ठ श्री एस. सी. श्रीमाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जावेगा. पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व तक की अवधि का कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत के आधार पर कोई वेतन एरियर देय नहीं होगा. तद्नुसार इन्हें पदोन्नति का वास्तविक लाभ इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

४. छत्तीसगढ़ मंत्रालय में पदस्थ निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विभाग में तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक (1)	नाम/विभाग (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री नाथुराम घोड़की, गृह (परिवहन) विभाग	श्रम विभाग
2.	श्री राजेश नारद, सा. प्र. वि. (पुल)	खेल एवं युवा कल्याण
3.	श्री एस. एन. नामदेव, कृषि विभाग	गृह (परिवहन) विभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 4-7/2005/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 1 दिसम्बर, 2005 से 23 दिसम्बर, 2005 तक (तेईस दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 24, 25 दिसंम्बर, 2005 के सार्वजनिक अवकाश एवं 26 दिसंबर, 2005 से 31 दिसम्बर, 2005 तक का Winter vacation (शीतकालीन अवकाश) का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2006

क्रमांक 14/978/2005/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 2607-08/867/2005/1-8/स्था., दिनांक 18 नवम्बर, 2005 द्वारा श्री के. सुब्रमणिय (भावसे) सचिव, मुख्यमंत्री एवं वन विभाग को दिनांक 21-11-2005 से 3-12-2005 तक 13 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4-12-2005 से 9-12-2005 तक 6 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शर्तें आदेश दिनांक 18 नवम्बर, 2005 के अनुसार यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक-एफ 9-64/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-64/32/05, दिनांक 12-12-2005 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना (उपांतरित) की सारिणी क्रमांक-4-सा-18 का उपांतरण

क्र.	सारिणी का क.	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारिणी के कालम-4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधि जोड़ी जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01	आवासीय	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल
2.	02	वाणिज्यिक	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल
3.	07	कृषि	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर एक सुझाव प्राप्त हुआ है, जिसे विचारोपरांत अमान्य करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 6/156/2005/वा.क./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2003 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवार कु. करुणा मिंज आत्मज़ा श्री पीटर मिंज, निवासी-नई बस्ती-1, राजा तालाब, रायपुर (छत्तीसगढ़) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर, वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500 में नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, अम्बिकापुर वृत्त, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़) में की जाती है.

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से, प्रशासन अकादमी, रायपुर में देकर, प्रशिक्षण प्राप्त करेगा.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होंगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर अथवा सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवा परिवीक्षावधि के अंत में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

5. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ विक्रयकर सेवा 1 तथा 2 भरती नियम, 1966" के प्रावधानों के तहत शासित होगा.

6. उपरोक्त उम्मीदवार की नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अतः उक्त उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग को प्रस्तुत करना होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपरोक्त उम्मीदवार को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र, मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. उम्मीदवार द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

9. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति के उपरांत उनकी परस्पर वरिष्ठता आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 6/2/2004/वाक. (पं.)/पांच.— राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री उदय भान पटवा, उप पंजीयक, को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला पंजीयक के पद पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500 में पदोन्नत करते हुए, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, जिला पंजीयक, जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ करता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक 266/एफ-1-3/2005/आजावि/06.—राज्य शासन एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 (5) में निहित प्रावधानों के तहत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 सितम्बर, 2005 में उल्लेखित विवरण को अतिष्ठित करते हुए निम्नांकित विवरण प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"श्री ए. मिंज, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2006

विभागीय परीक्षा माह फरवरी, 2006 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-9-38/दो-गृह/2005.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 20-2-2006 से रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर (जगदलपुर) के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचें सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 20-2-2006

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल अधिनियम तथा नियम पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तिका सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	सोमवार, दिनांक 20-2-2006	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	

मंगलवार, दिनांक 21-2-2006

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-"बी."	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-"सी."	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित)(नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनाएं ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री; कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 21-2-2006	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व, भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए. (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	
	बुधवार, दिनांक 22-2-2006	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा".	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिए (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 22-2-2006

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए.	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिए.	

गुरुवार, दिनांक 23-2-2006

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
34.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
35.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
36.	प्रश्नपत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिए.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा न्यायिक एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शुक्रवार, दिनांक 24-2-2006	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए.	
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (विना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी के लिये, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिए.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्नपत्र-लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि, कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
57.	प्रश्नपत्र तृतीय-अ.जा. तथा आदिवासी विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शनिवार, दिनांक 25-2-2006	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :—

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-3-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) दिनांक 8-5-2001 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अंतर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए.

4. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों अपने नाम उचित मार्ग द्वारा शीघ्र अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का उल्लेख किया जावे.

5. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77-1/ह. स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर (सूची के दर्शाये अनुसार) को दिनांक 1-2-2005 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

6. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 10-9/16/2004.— कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना एवं अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2004 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री व्ही. के. कपूर, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया जाता है.

No. F 10-9/16/2004.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Factories Act. 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notification and notification dated 29th July. 2004 the State Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri V. K. Kapoor, Commissioner Labour. Chhattisgarh. as the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of an Inspector throughout the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. कपूर, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/1 अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	सेमरिया प. ह. नं. 35/37	7.341	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग बलौदाबाजार.	बलौदी, औडान दवरेंगी मार्ग

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 6- अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	बोरिया कला प. ह. नं. 117	44.809	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग – 1 रायपुर.	बोरिया कला प.ह.नं. 117, रायपुर में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 7- अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूमरतालाब	30.566	कुलसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	ग्राम डूमरतालाब, प.ह.नं. 104 तह. जिला रायपुर (छ.ग.) निजी भूमि को रविशंकर वि.वि. की शिक्षण योजनाओं हेतु.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 8- अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रायपुरा	6.384	कुलसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)	ग्राम रायपुरा, प.ह.नं. 104 तह. जिला रायपुर (छ.ग.) निजी भूमि को रविशंकर वि.वि. की शिक्षण योजनाओं हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/64.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छपोरा प.ह.नं. 13	1.265	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	छपोरा माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/65.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदौरकलां	0.417	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	पासीद माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/66.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पोरथा प.ह.नं. 10	4.668	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	भालूडेरा माइनर नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/67.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दियें गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बैलाचुवां प.ह.नं. 4	0.522	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	नवागांव माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/68.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदौरखुर्द प.ह.नं. 12	0.065	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	नंदौरखुर्द माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 2/ अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	उपका	1.247	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	डूबान कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 13 जनवरी 2006

क्रमांक /05/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	कोना प.ह.नं. 132	1.243	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ. ग.)	कोना जलाशय के डूबान

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक- क भू-अर्जन/प्र.क्र. 13/अ 82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-ढनढन, प.ह.नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.803 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302/3	0.077
305/1	0.109
331	0.008
302/4	0.069
302/5	0.081
302/2	0.057
306/2	0.028
307	0.032
315	0.040
308	0.028
309	0.045
310	0.040
316	0.040
314	0.053
327, 328	0.004
329	0.057
334	0.049
332	0.020
237	0.040
260	0.150
373/1	0.077
375	0.121
376	0.093
379/2	0.061
1235	0.040
1239	0.008
1238/1	0.073
1244	0.105
1238/2	0.073
378/1	0.125
योग	1.803

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोतासुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.569 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.223
17	0.049
19/1	0.053
22	0.032
23	0.065
24	0.049
25	0.049
26	0.049
योग 8	0.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोतासुरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 13 जनवरी 2006

क्रमांक/06/भू-अर्जन/अ.वि.अ./5 अ/82/सन् 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-मचेवा, प.ह.नं. 143

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.11
5	0.02
13	0.03
12	0.01
34	0.03
11	0.02
8	0.03
10	0.04
35	0.06
53	0.02
52	0.02
54	0.03
51	0.03
61	0.01
62	0.05
योग 15	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोडार परियोजना मचेवा माइनर खरोरा के नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक 69/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.126 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
225/4	0.045
239/1	0.020
410/4 क, 434	0.061
योग	0.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पासीद सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक 70/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-जिरलाडीह, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.084 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57/5	0.028
57/4	0.016
115/3	0.020
115/1	0.020
योग	0.084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चमराबरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 जनवरी 2006

क्रमांक 71/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.905 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252	0.045
253/1	0.032
255	0.170
257	0.113
258/1	0.028

(1)	(2)
250	0.012
44/1	0.028
47	0.174
48/2	0.024
50/7	0.020
287	0.081
289	0.089
293/1 से 4	0.069
294/1	0.020
योग 14	0.905

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भेंडापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 72/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेमराडीह, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199/5	0.020
323/11	0.069
323/10, 323/12	0.072
योग	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कलमीडीह माइनर नहर. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 73/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेमराडीह, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173/7	0.036
योग	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करमनडीह सब माइनर नहर. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 74/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.223 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/3	0.020
157/2	0.061
167/2	0.057
614/1	0.032
612	0.053
योग	0.223

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरवानी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 75/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करमनडीह, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
373/5	0.016
373/6	0.004
योग	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करमनडीह सब माइनर नहर. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 76/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दतौद, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1214	0.097
योग	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कारीभांवर सब माइनर नहर. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जनवरी 2006.

क्रमांक 77/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-सक्ती
   (ग) नगर/ग्राम-घोघरा, प. ह. नं. 2
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.284 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
509/2	0.012
517/5	0.073
523/2	0.065
527/2	0.061
527/3	0.073
योग 5	0.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोघरा वितरक नहर, घोघरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 78/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-सक्ती
   (ग) नगर/ग्राम-सेन्दरी, प. ह. नं. 3
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
291/5	0.053
योग 1	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुटेकला उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 79/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-अंजोरीपाली, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	487/1	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अंजोरी-पाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जनवरी 2006

क्रमांक 80/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सकरेलीकला, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.516 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
158	0.008
232/1	0.032
162	0.012
173/2	0.085
146/1	0.024
161/1 से 6	0.129
164	0.040
170/2	0.045
175/1 से 5	0.065
176	0.182
148/4	0.162
148/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	0.024
146/2	0.032
227/1-2	0.073
228	0.057
230/1	0.008
230/2	0.049
231	0.016
232/2	0.089
137/1-2	0.008
136	0.028
135/1 से 4	0.045
235	0.020
132/1	0.032
132/2	0.024
126/1 से 3	0.045
125/1-2	0.057
124	0.028
113/1-2-3	0.089

(1)	(2)
116/1-2-3	0.008
योग 30	1.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सकरेलीकला माइनर नं. 2. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 जनवरी 2006

क्रमांक 01/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-लवसरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.008 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
890/1	0.004
1474	0.004
योग 2	0.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरदी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/23/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नियानार, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.512 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
293/1 क	0.165
278	0.149
280/1	0.085
282	0.113
योग	0.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- तुसेल तालाब योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/38/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोरपाल, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.826 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.202
1/7, 1/9	0.810
1/9	0.202
1/8	2.267
13	0.405
16	0.405
17/1	0.202
19	0.405
25	0.243
18	0.041
20	0.089
22	0.065
23, 27/2	0.223
24	0.267
योग	5.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- तुसेल तालाब योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/26/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोकावाड़ा, प. ह. नं. 80
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.753 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/1	0.041
252, 281/49, 281/74	0.182
278	0.085
271/2	0.222
272	0.202
273	0.021
योग	0.753

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- झीरम नदी व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक 72/प्र. 1/अ.वि.अ./06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-डौंडीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम-बुल्लूटोला, प. ह. नं. 36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.99 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.20
17	0.88
19	0.09
20	0.53
25	0.20
28	0.10
34/1	0.11
36	0.23
39	0.57
47	0.44
88	0.57
90	0.33
23	0.15
29	0.06
31	0.27
32	0.27
34/2	0.08
33	0.04
35	0.13
24	0.28
26	0.04
30	0.10
38	0.18
37	0.14
65	0.37
40	0.25
41	0.23
42	0.66
43	0.46
52	0.82
58	0.30
91	0.13
62	0.64
63	0.42
64	0.35
66	0.19
68	0.28
87	0.42
93	0.04
89	0.38
92	0.04
94	0.07
95	0.42
96/3	0.05
96/2	0.12
96/5	0.16
96/4	0.16
27	0.04
योग	12.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उंरटा गुरामी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक 70/प्र. 1/अ.वि.अ./06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-डौंडीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम-उरेटा, प. ह. नं. 36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.65 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
362	0.19
348	0.19
344	0.03
346/1	0.21
346/7	0.12
346/10	0.08
346/12	0.08
246/15	0.08
294	0.33
342	0.24
350	0.04
363	0.47
325	0.09
364	0.36
311	0.35
304	0.02
365	0.24
296	0.27
353	0.35
287/2	0.05
298	0.32
351	0.25
299	1.44
376	0.20
349	0.53
337	0.01
327	0.11
288	0.01
377	0.04
290	0.01
295	0.09
301	5.58
310	0.28
312	5.62
343	0.72
303	0.02
300/2	0.07
31/1	0.05
287/1	0.09
297	0.10
346/3	0.15
346/6	0.12
346/8	0.13
346/11	0.07
346/14	0.10
346/4	0.14
346/9	0.09
346/16	0.09
346/2	0.12
346/5	0.15
346/13	0.16
योग	20.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उरेटा गुरामी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक 112/प्र. 1/2006 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-सिब्दी, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1201	0.05
1182	0.01
1194	0.04
1195	0.07
1117	0.04
1186	0.04
1199	0.14
1116	0.05
1187	0.04
1183	0.04
1193	0.06
1226	0.06
1130	0.13
योग	0.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अन्तर्गत बीजाभाठा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक 114/प्र. 1/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-टेकापार, प. ह. नं. 124/3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
156	0.21
157	0.50
154	0.12
161	0.25
186	0.08
185	0.31
184	0.01
183	0.27
195	0.10
196	0.20
197	0.16
155	0.07
168	0.13
योग	2.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अन्तर्गत बीजाभाठा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक 116/प्र. 1/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-माहुद, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1238/1	0.11
1194	0.03
1238/7	0.18
1177	0.02
1174	0.01
1162/4	0.03
1233	0.09
1234	0.09
1198/2	0.05
1235	0.07
1237	0.05
1164/1	0.04
1200	0.07
1178	0.07
1202	0.19
1188	0.06
1162/3	0.08
1171	0.01
1173	0.09
1165	0.23
1201	0.07
1238/10	0.13
1238/5	0.17
1230/3	0.11
1231/1	0.04
1197	0.07
1204	0.03
1238/2	0.01
1162/2	0.12
1142	0.02
1238/4	0.07
1238/9	0.08
1172	0.08
1193/2	0.05
1205	0.04
योग	2.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अन्तर्गत भरदकला डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक 118/प्र. 1/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-चिरचार, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
785	0.07
334/2	0.01
207	0.12
878	0.17
336	0.10
295	0.10
301	0.16
304	0.28
310	0.08
229	0.03
231	0.03
299	0.20
325	0.29
339	0.06
382	0.37
362/2	0.01
296	0.01
618	0.11
615	0.03
585/2	0.01
312/1	0.22
326/1	0.03
590	0.09
869	0.77

(1)	(2)
361	0.15
330	0.04
622	0.04
872	0.05
589	0.07
585/1	0.06
356	0.13
308	0.01
309	0.03
303	0.09
619	0.01
873	0.06
365	0.32
300	0.04
876	0.30
614	0.29
360	0.07
328	0.20
332/1	0.01
338	0.10
637	0.12
313	0.16
337	0.12
635	0.13
228	0.21
289/2	0.08
311	0.06
316	0.20
335	0.06
870	0.07
586	0.06
616	0.02
617/2	0.09
889/2	0.01
329	0.11
875	0.22
788	0.02
787	0.13
639/2	0.05
874/1	0.08
285/1	0.13
871	0.06
587	0.14
578	0.08
योग	7.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अन्तर्गत भरदकला डिस्ट्रीब्यूटरी एवं चिरचार माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक 120/प्र. 1/2006 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-भरदाकला, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1498/2	0.11
213	0.08
215/2	0.11
78	0.07
168	0.14
114	0.01
1540	0.12
48	0.16
687/1	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
717	0.01	81	0.15
719/1	0.06	138	0.08
283	0.02	117/2	0.06
291	0.04	1680	0.16
1407	0.05	1639	0.03
848	0.16	1638/1	0.18
1634	0.02	80/1	0.06
1635	0.02	402	0.10
723	0.08	292	0.03
400	0.13	838	0.05
386	0.06	849	0.01
844	0.18	85	0.19
841	0.09	1470	0.02
116	0.03	150	0.10
1539	0.18	1688	0.17
719/2	0.02	686	0.06
721	0.02	154	0.13
722	0.03	101/1	0.04
167	0.13	1469	0.04
1415	0.03	1495	0.15
1303/2	0.15	688	0.04
79	0.08	198	0.06
839	0.05	730	0.10
840	0.04	385/2	0.14
146/1	0.05	215/1	0.05
276/1	0.44	115/2	0.04
1684	0.05	736	0.08
1683	0.04	1416	0.01
685	0.10	1400	0.05
682	0.08	1547	0.14
118	0.02	1303/1	0.01
189	0.08	1192	0.01
279	0.02	46	0.05
84	0.17	403	0.03
1636	0.06	1303/3	0.01
280	0.08	284	0.14
281	0.05	287	0.08
157	0.12	140	0.15
83	0.18	109	0.14
147	0.07	1489	0.23
1496	0.14	1414	0.06
385/1	0.16	1309	0.07
110/1	0.05	1681	0.06

(1)	(2)
1682	0.05
845	0.09
1499	0.12
1549/2	0.13
199	0.15
401	0.06
276/2	0.02
160	0.01
159	0.06
850	0.11
1414/1806	0.01
1468	0.04
1398/1	0.06
1298	0.08
45	0.03
1304	0.05
51	0.01
200	0.02
44	0.03
1637	0.06
1631	0.08
696/1	0.01
679/1	0.10
399/2	0.08
1190	0.05
155	0.16
156	0.06
1533	0.28
687/2	0.02
679/2	0.08
399/3	0.08
731	0.04
847	0.08
110/2	0.01
1194	0.05
141/1	0.06
115/1	0.01
718	0.04
169	0.14
101/2	0.10
1195	0.06
1196	0.01
141/4	0.08
49	0.08
1498/1	0.11
1498/3	0.16
164	0.07
105	0.55
1471	0.03
1191	0.01
680/4	0.08
1689	0.07
1607/1	0.06
404	0.05
1199	0.01
196	0.06
योग	12.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अन्तर्गत भरदकला डिस्ट्रीब्यूटरी एवं भरदाकला माइनर क्र. 1, 2 तथा चिरचार माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र.क्र. 20 अ/82, वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-अमोदी, प. ह. नं. 34/48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
587	0.02
625	0.21
597	0.09
596	0.30
627/2	0.92
615	0.12
613	0.64
1337	0.21
595	0.23
627/1	0.12
614	0.17
616	0.32
1062	0.78
620	0.20
1061	0.12
योग	4.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र.क्र. 29 अ/82, वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-भौराभाटा, प. ह. नं. 34/48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
254	0.21
230	0.38
53/1	0.20
231	0.22
235/5	0.17
225	0.20
541/3	0.15
233/2	0.21
164	0.12
159	0.30
149	0.05
152	0.22
228	0.26
73/3	0.40
171	0.18
175	0.09
56	0.24
57	0.14
59	0.07
260	0.18
253	0.35
221	0.01

(1)	(2)
73/1	0.40
153	0.02
45	0.02
47	0.05
55/1	0.10
58	0.15
46	0.20
255	0.15
256	0.02
259	0.02
251/1	0.13
169	0.02
165	0.13
170	0.08
229	0.26
150	0.29
223/1	0.01
151	0.16
166	0.14
167	0.07
227	0.14
224	0.09
73/2	0.40
52/2	0.10
55/2	0.20
252/3	0.27
54	0.30
42	0.60
51	0.02
73/5	0.40
52/1	0.60
251/3	0.02
251/5	0.02
251/7	0.02
251/9	0.03
173	0.35
541/2	0.15
541/5	0.14
541/1	0.15
541/4	0.10
541/6	0.03
160	0.12
161	0.18
162	0.15
163	0.30
53/3	0.25
53/2	0.12
252/2	0.16
172	0.44
174	0.48
252/1	0.23
234	0.30
73/4	0.40
योग 75	14.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2005

क्रमांक 4562/न.ग्रा.नि./05.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि रतनपुर निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी प्रति नगर पंचायत के सभा भवन में एवं जिलाध्यक्ष कार्यालय, बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका, बिलासपुर में दिनांक 2-12-05 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है :—

रतनपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है

उत्तर में — ग्राम चपोरा एवं खैरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में — ग्राम खैरा, पोड़ी, घासीपुर, लालपुर, रतनपुर एवं रानीगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में — ग्राम रतनपुर, रानीगांव, एवं भरदैयाडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में — भरदैयाडीह, कलमीटार, सिलदहा, भैसाझार, रतनपुर, पोड़ी एवं चपोरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका, बिलासपुर छ. ग. को या निरीक्षण स्थल पर इस सूचना के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल — नगर पंचायत कार्यालय, सभा भवन, रतनपुर.

Bilaspur, the 23rd November 2005

No. 4562/T&CP/05.—Notice is hereby given that the existing land use maps and registers for the Ratanpur Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of C. G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 2-12-05 in Office of Nagar Panchayat Council Ratanpur Meeting Hall and the Office of the Collector, Bilaspur and Joint Director, Town and Country Planning Office, Mungeli Naka, Bilaspur During Office hours on working days. The limits of Ratanpur Planning Area are detailed in schedule given below :—

RATANPUR PLANNING AREA LIMITS

SCHEDULE

North — Village Chapora and up to the Northern limits of village Khaira

East	—	Village Khaira, Pondi, Ghasipur, Ratanpur and up to the eastern limits of village Ranigaon.
South	—	Village Ratanpur. Ranigaon and up to the southern limits of village Bhardaiyadih.
West	—	Village Bhardaiyadih, Kalmitar, Sildaha, Bhaisajhar, Ratanpur. Pondi and up to the western limits of village Chapora.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning. Mungeli Naka, Bilaspur or at the Exhibition place at Ratanpur within a period of thirty days from the date of publication of the Notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified above, will be considered by the Joint Director.

Inspection Site— Nagar Panchayat Office Meeting Hall, Ratanpur.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2003.

क्रमांक क/ख.लि./खुघो/2003.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (तीस) दिन पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम	प.ह.नं.	तहसील	ख. नं.	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खपरीडीह	18	कसडोल	154/1/1क	3.00 एकड़	श्री धरमसिंह केंवट को स्वीकृत उत्खनिपट्टा निरस्त होने के कारण, (शासकीय भूमि).

सी. के. खेतान,
कलेक्टर.

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

क्रमांक क/ख.लि./खुधो/2004.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिन पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम (1)	प.ह.नं. (2)	तहसील (3)	ख. नं. (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
खपरीडीह	156/18	कसडोल	154/1क/1 का भाग	0.46 एकड़ शासकीय भूमि	श्री कृष्ण कुमार वैष्णव को दिनांक 15-11 98 से 14-11-2003 तक स्वीकृत है. दिनांक 3 जून 2003 से पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.
खपरीडीह	156/18	कसडोल	154/1क/1 का भाग	2.24 एकड़ शासकीय भूमि	श्री श्याम लाल केंवट को दिनांक 29-3-2001 से 28-3-2006 तक स्वीकृत थी, दिनांक 6 फरवरी 2004 से पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.
खपरीडीह	156/18	कसडोल	154/1क/1 का भाग	0.50 एकड़ शासकीय भूमि	श्री विजय कुमार शर्मा को दिनांक 29-3-2001 से 28-3-2006 तक स्वीकृत थी, दिनांक 17 सितंबर 2004 से पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.
टुण्डरा	19	कसडोल	3188/1 का भाग	3.00 एकड़ शासकीय भूमि	श्री रामशंकर साहू को दिनांक 3-4-2000 से 2-4-2005 तक स्वीकृत थी, दिनांक 18 सितम्बर 2003 से पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.
कुम्हारी	159/18	कसडोल	1730/1 का भाग	3.00 एकड़ शासकीय भूमि	श्री राजकुमार को दिनांक 15-11-98 से 14-11-2003 तक स्वीकृत थी, दिनांक लीज अवधि समाप्त होने के कारण खदान रिक्त है.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

क्रमांक क/सहा.ख.लि. 2/खुघो/2006.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिन पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक

विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम (1)	प.ह.नं. (2)	तहसील (3)	ख. नं. (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
खपरीडीह	156/18	कसडोल	191/7,	0.50 एकड़ निजी भूमि	श्री रमेश अग्रवाल पिता श्री सत्यनारायण अग्रवाल निवासी शिवरीनारायण पो. शिवरीनारायण तहसील व जिला जांजगीर के नाम पर ग्राम खपरीडीह शासकीय भूमि खसरा नंबर 191/7 रकबा 0.50 एकड़ क्षेत्र पर चूनापत्थर अवधि 4-10-2000 से 3-10-2005 तक स्वीकृत था पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के कारण खदान रिक्त है.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th December 2005

No. 708/Confdl./2005/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Madhu Mishra, V Civil Judge Class-II, Raipur, for change of her name, she is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Madhu Tiwari". It is directed that necessary changes be effected in all her records.

Bilaspur, the 13th December 2005

No. 717/Confdl./2005/II-2-90/2001(Pt.II).—Shri Ravi Shankar Sharma, Member of Higher Judicial Service, presently posted as V Additional District & Sessions Judge, Bilaspur, is posted as Additional Registrar (D.E.), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 14th December 2005

CORRIGENDUM

No. 719/Confdl./2005/II-2-1/2005.—In the Order No. 706/Confdl./2005/II-2-1/2005 dated 7th December, 2005 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, at Serial No. 1 in Column No. 2, the name of Shri Vijay Kumar Kashyap may be read as Shri Vinay Kumar Kashyap.

Bilaspur, the 30th December 2005

No. 6340/L.G./2005/II-2-15/2004.—Shri Alok Jha, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act. Bilaspur. is hereby, granted Earned leave for 04 days from 10-5-2005 to 13-5-2005 with permission to suffix holidays of 14th & 15th may 2005 and to remain out of Head Quarters after the closing hours of Court on 9-5-2005 to the morning of 14-5-2005.

On return from leave, Shri Alok Jha, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of Earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Alok Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+11 days of Earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 7th January 2006

No. 4/Confdl./2006/II-3-1/2006.— Shri Alok Kumar, II Civil Judge Class-II, Ambikapur, is hereby, transferred and posted as Civil Judge Class-II, Sakti, From the date he assumes charge of his office.

By order of the High Court,
R. K. BEHAR, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

क्रमांक 5729/तीन-10-8/2000-II.— छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 की उपधारा (ब) के अधीन जारी की गई अधिसूचना फा. 1-1/2003/8242/21-ब/05, दिनांक 24-10-2005 में छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-1/2003/9080/21-ब दिनांक 28-11-2005 द्वारा और संशोधन किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 5401/तीन-10-8/2000-भाग दो दिनांक 8 नवम्बर 2005 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शब्द एवम् अंक "26 नवम्बर 2005" के स्थान पर शब्द एवम् अंक "3 दिसम्बर 2005" प्रतिस्थापित किया जाये.

Bilaspur, the 29th November 2005

No. 5729/III-10-8/2000-II.— Consequent to the amendment made by the State Government Law & Legislative Affairs Department, Raipur in its Notification No. F. No. 1-1/2003/8242/XXI-B/05 dated 24-10-2005 issued under

clause (b) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958) vide Government Law & Legislative Affairs Department Notification No. F. No. 1-1/2003/9080/21-B, dated 28-11-2005, the High Court of Chhattisgarh in exercise of the powers conferred by Section 12 of Sub-section (1) of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), hereby makes the following further amendment its Notification No. 5401/III-10-8/2000-II dated 8-11-2005 as under, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification for the words and figures "26th November 2005" the words & figures "3rd December 2005" shall be substituted.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

क्रमांक 5730/तीन-10-8/2000-II.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974), की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 5402/तीन-10-8/2000 भाग-दो, दिनांक 8 नवम्बर 2005 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शब्द एवम् अंक "26 नवम्बर 2005" के स्थान पर शब्द एवम् अंक "3 दिसम्बर 2005" प्रतिस्थापित किया जाये.

Bilaspur, the 29th November 2005

No. 5730/III-10-8/2000-II.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh is hereby amends its Notification No. 5402/III-10-8/2000-II daed 8-11-2005 as under, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification for the words and figures "26th November 2005" the words & figures "3rd December 2005" shall be substituted.

By order of the High Court,
A. R. L. NARAYANA, Additional Registrar.